सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0
ना0 अपील सं0 12/2017

1. लाली देवी पुत्री बद्रीनारायण
2. बदरीनारायण पुत्र रमसी जाति मीना निवासी कानपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
..अपी0

बनाम

1. रामकिशन पुत्र भौरीलाल
2. गुलाब पत्नि रामकिशन जाति बैरवा निवासी कानपुरा तहसील नांगल राजावतान
3. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नांगल राजावतान
..रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण सं0 178 दिनांक 10.06.2002
व न्यायालय नायब तहसीलदार, नांगल राजावतान

उपस्थिति—1. श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री मिश्रीलाल बैरवा अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः 21.03.18

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, नांगल राजावतान द्वारा आवंटित भूमि नामान्तरकरण सं0 178 दिनांक 10.06.2002 रेस्पो0 सं0 एक व दो के पक्ष में तस्दीक किया गया। इ आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि ग्राम कानपुरा तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 708 रकबा 0.06 है0 तथा खसरा नम्बर 723 रकबा 0.15 है0 का आवंटन दिनांक 10.06.2002 को आवंटन कमेटी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में किया गया है। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 10.06.2002 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा वाके ग्राम कानपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 723 रकबा 0.15 है0 का गैर खातेदारी नामान्तकरण संख्या 178 दिनांक 10.06.2002 को भरा गया लेकिन नायब तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा उक्त नामान्तकरण की पुश्त पर आदेश दिनांक 10.06.2002 नामान्तकरण को स्वीकार फरमाते हुए खसरा नम्बर 708 रकबा 0.06 है0 एवं खसरा नम्बर 709 रकबा 0.15 है0 का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया जबकि आवंटी रामकिशन पुत्र भौंरीलाल व गुलाब पत्नि रामकिशन कौम बैरवा को आवंटन आदेश दिनांक 10.06.2002 के अनुसार खसरा नम्बर 708 रकबा 0.06 है0 व खसरा नम्बर

723 रकबा 0.15 है0 का आवंटन किया गया था परन्तु नायब तहसीलदार द्वारा गलत आदेश कर गलत इन्द्राज नमान्तकरण की पुश्त पर कर दिये गये जिसके कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपने हक में वाके ग्राम कानपुरा तहसील नांगलराजावतान के आराजी खसरा नम्बर आवंटी आदेश दिनांक 10.06.2002 में आवंटित भूमि खसरा नम्बर 723 की जगह 709/3 का नामान्तकरण अपने हक में खुलवा कर गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को उक्त कार्यवाही करने व करवाने का कानूनन का कोई अधिकार प्राप्त नही था। ग्राम कानपुरा तहसील नांगल राजावतान के आराजी खसरा नंबर 709/3 जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व की खातेदारी में वर्तमान में दर्ज रिकार्ड है उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि पर काफी समय से काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का कोई लेना देना व वास्ता नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उक्त भूमि का अपने नाम गलत नामान्तरकरण खुल जाने के कारण अपीलांट को बेदखल करने की गरज से न्यायालय उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान से दिनांक 29.06.2017 को उनवानी प्रकरण रामकिशन बनाम सरकार मुकदमा नम्बर 24/2017 बाबत पत्थरगढी 128 मे करवा लिये व बेदखल करना चाहता है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरकरा सं0 178 का आदेश ता0 10.06.2002 खारिज करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पो0 की बहस में दलील है कि अपीलांट लाली देवी वगैरह नामान्तरकरण संख्या 178 दिनांक 10.06.2002 के विरूद्ध अपील 15.06.17 को पेश की है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है तथा अपील के पैरा नं0 8 में अपीलांट ने ता0 5.5.17 को जानकारी होना बताया है व ता0 5.5.17 को ही नकल का प्रार्थना पत्र पेश करना व ता0 5.5.17 को ही नकल मिलने का तथ्य अंकित किया है व ता0 5.5.17 को ही नकल मिल गई इसके बावजूद भी अपीलांट ने ता0 15.06.17 को यानि एक माह दस दिना बाद अपील पेश की है जो स्पष्ट रूप से मियासद बाहर है तथा देरी का कारण भी कोई युक्ति युक्त नही बताया है। इसलिए प्रारम्भिक तौर पर अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है । इस संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष एक प्रारंभिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र भी पेश कर रखा है। अपीलांट का विवादित नामान्तरकरण व विवादित कृषि भूमि से किसी किस्म का कोई ताल्लुक व वास्ता नही है, ऐसी सूरत मे अपीलांट अपील पेश करने का अधिकारी नही है और ना ही उनका कोई अधिकार ही प्रभावित होते है इस संबंध में भी रेस्पो0 द्वारा प्रारम्भिक आपति का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर रखा है। कोई भी नामान्तरकरण यदि गलत भर दिया है तो तहसीलदार स्वयं न्यायालय के समक्ष अपील या रेफरेंस पेश कर सकता है। पटवारी हल्का ने नामान्तकरण भरा है व नायब तहसीलदार ने विधिवत रूप से नामान्तरकरण तस्दीक किया है। जिसमे कोई अवैधानिकता नही तथा पटवारी ने नामान्तरकरण में खसरा नं0 708 व 709 पर कब्जा होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का नामान्तरकरण शुद्ध कर दिया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वाके ग्राम कानपुरा तहसील नॉगल राजावतान स्थित आराजी खसरा नंबर 708 रकबा 0.06 व 723 रकबा 0.15 कुल रकबा 0.21 है0 भूमि का दिनांक 10.06.2002 को रेस्पो0 सं0 एक व दो को आवंटन किया गया। उक्त आवंटन आदेश की पालना में दिनांक 10.06.2002 को आराजी खसरा नंबर 708 रकबा 0.06 व 723 रकबा 0.15 कुल रकबा 0.21 है0 भूमि को भूमि नामान्तरकरण पटवारी द्वारा खोला जाकर नायब तहसीलदार को तस्दीक हेतु पेश किया जाने पर नायब तहसीलदार द्वारा आराजी खसरा नंबर 708 रकबा 0.06 व 709 रकबा 0.15 कुल कुल किता 2 कुल रकबा 0.21 है0 भूमि का तस्दीक कर दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पो0 को खसरा नंबर 708 व 723 में आवंटित की गई है, जिसके स्थान पर खसरा नंबर 708 व 709 को तस्तदीक कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उक्त तस्दीक किये गये नामान्तरकरण व आवंटन आदेश में भिन्नता होने के कारण पक्षकारान के मध्य असंतोष की स्थिति बनी हुई है। रेस्पो0 का कथन

उचित नहीं है कि कब्जे के आधार पर नामान्तरकरण खोला गया है। नामान्तरकरण आवंटन आदेश के आधार पर खोला गया है और वह भी खसरा नंबर 723 के स्थान पर खसरा नंबर 709 का तस्दीक किया गया है। जो आवंटन आदेश के विरुद्ध खोला गया है। जहॉ तक इस प्रकरण में अपीलांट के अधिकार प्रभावित नहीं होने से वे अपील करने के अधिकारी नहीं होना रेस्पो0 ने अपनी बहस में बताया है, इससे हम सहमत नहीं है। क्योंकि दस्तावेजात का अंकन सही नहीं होने की स्थिति में प्रथमतः तहसीलदार का स्वयं का ही दायित्व बनता है और फिर भी कोई त्रुटि की गई है, तो इसे ध्यान में लाना किसी की बदयान्ती नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दफा–5 के प्रा0 पत्र व रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत पारम्भिक आपत्ति दिनांक 27.11.17 की बहस भी उभय पक्ष की इस्तदुआ पर मूल प्रकरण के साथ ही सुनी गयी। चूँकि वर्तमान में मूल अपील का ही निर्णय किया जाना है। इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्रों का भी इसके साथ ही निर्णय किया जाना उचित होगा, जिससे प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जा सकें। जहॉ तक मियाद के बिंदु का प्रश्न है, तो उसमें यदि कोई आदेश प्रथमतः ही अवैधानिक है, उसके लिए मियाद की बाधा नहीं होती है। इसलिए अपील चलने योग्य होने से देरी को क्षमा किया जाते हुए रेस्पो0 की प्रारम्भिक आपत्ति खारिज की जाने योग्य है। साथ ही प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए इस पर सीधा ही कोई कार्यवाही नहीं करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 178 दिनांक 10.06.2002 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार नॉगलराजावतान को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर इस न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 21 मार्च, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा